कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांकः- पु.आ.जोध/विस्फो/2023/ 2736 दिनांकः- 05.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 दीपावली पर्व पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र जोधपुर में विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के इच्छुक आवेदको द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-एई-5) में आवेदन पत्र दिनाक 08.09.2023 से 30.09.2023 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

आवेदक अपने आवेदन पत्र अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेंसिग, आयुक्तालय जोधपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज चार प्रतियों में संलग्न करें:-

1. आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5)
2. प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिन्ट (मानचित्र) चार प्रतियों में, जिसमें आस-पास स्थित व्यावसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो। प्रस्तावित स्थल के उपर निवास न हो। (दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम एवं 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए व दुकान अग्निश्मन वाहन के पंहुच योग्य होनी चाहिए।)
3. प्रस्तावित स्थल ऐसे परिसरों से या उसी प्रकार के विस्फोटकों, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भण्डारण के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी अन्य परिसर से न्युनतम 15 मीटर की दूरी पर होगी।
4. आवेदक के पहचान पत्र की छायाप्रति।
5. व्यावसायिक स्थल के स्वामित्व/किरायानामा इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति।
6. यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. आवेदक के पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन पत्र पर लगावें।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
9. अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।

COMMISSIONER OF POLICE JODHPUR (RAJ.)

(रवि दत्त गौड़)
पुलिस आयुक्त,
जोधपुर।

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम, जोधपुर।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
3. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
4. समस्त थानाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर।
5. प्रभारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जोधपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।
6. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
7. कायालय नोटिस बोर्ड।

पुलिस आयुक्त,
जोधपुर।